राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुमारसैन जिला शिमला हि0प्र0 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2010 से 3/2015

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से वर्णित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/2002 से 3/2006

1	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(चालान संख्या 10, दिनांक 13.10.2015 द्वारा जमा के पश्चात)
2	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 7(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0/एच0(2)सी(15)xi(1)–245 /2006 खण्ड–1–7891 दिनांक 30.10.2012 के अनुसार)
4	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत	
6	पैरा संख्या 10	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0/एच0(2)सी(15)xi(1)–245 /2006 खण्ड–1–7891 दिनांक 30.10.2012 के अनुसार)
7	पैरा संख्या 11(1 व 2)	निर्णीत	(आवश्यक कार्रवाई पश्चात)
8	पैरा संख्या 12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित है)
9	पैरा संख्या 13	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण के पश्चात)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2010

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट संख्या ए–2114036, दिनांक 5.6.2010 द्वारा भेजने के पश्चात)
2	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
3	पैरा संख्या 5	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
4	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 7	निर्णीत	(आवश्यक कार्रवाई के पश्चात)
6	पैरा संख्या 8	निर्णीत	(आवश्यक कार्रवाई के पश्चात)
7	पैरा संख्या 9	निर्णीत	(रसीद संख्या 148, दिनांक 13.10.2015 द्वारा जमा के पश्चात)
8	पैरा संख्या 10	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0/एच0(2)सी(15)xi(1)–245 /2006 खण्ड–1–7891 दिनांक 30.10.2012 के

			अनुसार)
9	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत	
10	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत	
11	पैरा संख्या 13	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0/एच0(2)सी(15)xi(1)–245/2006 खण्ड–1–7891 दिनांक 30.10.2012 के अनुसार)
12	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

संस्था के अवधि 4/2010 से 3/2015 के छात्र निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा 21.9.2015 से 13.10.2015 के दौरान कुमारसैन में किया गया। विस्तृत जांच हेतु चयनित किए गए मासों का विवरण निम्न प्रकार से वर्णित है।

अवधि	विस्तृत आय की जांच हेतु चयनित मास	विस्तृत व्यय की जांच हेतु चयनित मास
2010–11	8/10	1/11
2011–12	8/11	10/11
2012–13	3/13	3/13
2013–14	7/13	3/13
2014–15	3/15	3/15

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं संवितरण अधिकारी संस्थान में कार्यरत रहे।

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कपूर	1.4.2010 से 6.7.2012
2	श्री अशोक जसवाल	7.7.2012 से 3.8.2012
3	श्री लेखराज धीमान	3.8.2012 से 31.3.2015

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा कोई सूचना अथवा अभिलेख उपलब्ध न करवाने व गलत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

संस्था के अवधि 4/2010 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹11000 बनती है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0

शिमला–9 को भेजने हेतु संस्थान से अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0–42/15 दिनांक 13.10.2015 द्वारा आग्रह किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि ड्राफ्ट संख्या 171311027 दिनांक 13.10.2015 द्वारा भेज दी गई।

4 वित्तीय स्थिति

(क) प्रधानाचार्य आईटीआई कुमारसैन द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति का विवरण **परिषिष्ट–"क"** पर संलग्न है, जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित हैं।

(i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में परीक्षा निधि में दिनांक 31.3.2010 को अन्त शेष ₹18459 का दर्शाया गया था, जिसमें परीक्षा निधि की ₹8859 तथा टयूशन फीस की ₹9600 थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिनांक 1.4.2010 को परीक्षा निधि का आरम्भिक शेष ₹8859 तथा टयूशन फीस का आरम्भिक शेष ₹9600 दर्शाया गया है।

(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में छात्र कल्याण निधि में दिनांक 31.3.2010 को अन्त शेष ₹5416 का दर्शाया गया था, जिसमें छात्र कल्याण निधि की ₹3416 तथा प्रवेश शुल्क की ₹2000 थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में छात्र कल्याण निधि का आरम्भिक शेष ₹3416 तथा प्रवेश शुल्क का आरम्भिक शेष ₹2000 दर्शाया गया है।

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहचान पत्र निधि का दिनांक 31.3.2010 को अन्त शेष ₹3360 दर्शाया गया था, जिसमें पहचान पत्र निधि की ₹2960 तथा जीवन बीमा निधि की ₹400 थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहचान पत्र निधि का प्रारम्भिक शेष ₹2960 तथा जीवन बीमा प्रारम्भिक शेष ₹400 का दर्शाया गया है।

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में बिजली पानी निधि में दिनांक 31.3.2010 को अन्त शेष ₹8151 का दर्शाया गया था, जिसमें बिजली–पानी निधि की ₹8491 तथा विविध निधि के रूप में अंकित की गई ₹260 थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के बिजली–पानी निधि का आरम्भिक शेष ₹8491 तथा विविध निधि का आरम्भिक शेष ₹260 का दर्शाया गया है।

(ख) सावधि जमा योजना में जमा राशि को रोकड़ वही के शेष में न दर्शाने बारे

अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश राशि व रोकड़ वही की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा समय–समय पर निवेश की गई राशि को रोकड़ वही के शेष में नहीं दर्शाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार सावधि जमा में निवेश की गई राशि को रोकड़ वही के शेष में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है, ताकि संस्थान की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चल सके। अतः संस्था द्वारा 23.10.2014 को ₹270000 की जो राशि सावधि जमा योजना में निवेश की गई,

उसे रोकड़ वही के अन्त शेष में जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सावधि जमा में निवेशित समस्त राशियों को रोकड़ में दर्ज किया गया है।

(ग) बचत खाते से प्राप्त ब्याज की राशि का विभिन्न छात्र निधियों में वर्गीकरण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र निधि लेखों के संचालन हेतु बचत खातों से प्राप्त ब्याज की राशि को विभिन्न निधि खातों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, अपितु प्राप्त ब्याज की राशि की प्रविष्टियां छात्र कल्याण निधि में की गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ब्याज की राशि को विभिन्न निधियों में वर्गीकृत किया जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुमारसैन द्वारा छात्र कल्याण निधि में से दिनांक 23.10.2014 को ₹270000 का 1 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में निवेश किया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि सावधि जमा योजना में निवेश की गई राशि को परिपक्वता तिथि पर भुगतान अथवा इसका निवेश किया जाए।

6 छात्र कल्याण निधि से प्राप्त राशि को रोकड़ वही व बैंक खाते में जमा किए बिना सीधे ही भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से प्राप्त राशि को रोकड़ वही तथा बैंक में जमा न करके उसमें से सीधे तौर पर भुगतान किया गया, जबकि नियमानुसार प्राप्त राशि को पहले रोकड़ वही तथा बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित था, तत्पश्चात आवश्यकतानुसार भुगतान हेतु राशि का आहरण किया जाना था। इस प्रकार प्राप्त राशि को सीधे तौर पर खर्च करना अनियमित ही नहीं, अपितु वित्तीय नियमों का उल्लंघन भी है। इस प्रकार की अनियमितताओं के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

राशि प्राप्ति की तिथि	प्राप्त की गई राशि	बैंक में जमा की गई राशि	सीधा भुगतान किया गया	उद्धेश्य जिस हेतु भुगतान किया गया
9.8.2010	66725	66630	95	समाचार पत्र हेतु व्यय
31.8.2010	84000	75780	8220	वेतन पर व्यय
12.3.2013	1630	1528	102	समाचार पत्र हेतु व्यय
8.7.2013	3620	3511	109	समाचार पत्र हेतु व्यय
9.11.2011	1035	942	93	समाचार पत्र हेतु व्यय
24.12.2011	610	518	92	समाचार पत्र हेतु व्यय
11.1.2012	560	464	96	समाचार पत्र हेतु व्यय

7 प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, पंजीकरण शुल्क व विविध प्राप्तियों की ₹2803890 को अनाधिकृत रूप से छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में जमा करना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार की प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, पंजीकरण शुल्क व विविध प्राप्तियों की ₹2803890 अनाधिकृत रूप से छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में जमा करवाया गया है, जबकि छात्र कल्याण निधि के नियम 2009 के अनुसार छात्रों से प्राप्त राशि को सम्बन्धित निधि को रोकड़ वही में दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की प्राप्तियों को रोकड़ वही में दर्ज किए जाने से परिहार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	शुल्क का नाम	अवधि जिस हेतु शुल्क रोकड़ वही में दर्ज किया गया	राशि जिसे रोकड़ वही में दर्ज किया गया
1	प्रवेश शुल्क	2010—11	5200
2	प्रवेश शुल्क	2012—13	2600
3	प्रवेश शुल्क	2014—15	11800
4	शैक्षणिक शुल्क	2010—11	14400
5	शैक्षणिक शुल्क	2013—14	62400
6	शैक्षणिक शुल्क	2014—15	67200
7	पंजीकरण शुल्क	2010—11	10200
8	पंजीकरण शुल्क	2011—12	2600
9	विविध प्राप्तियां	2011—12	2810
10	विविध प्राप्तियां	2012—13	618509
11	विविध प्राप्तियां	2013—14	936360
12	विविध प्राप्तियां	2014—15	1069811
		कुल राशि	**₹2803890**

8 छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में निधियों के अतिरिक्त अन्य ₹911864 को भी जमा करना तथा उसमें से भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अनुसार छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में छात्रों से सम्बन्धित निधियों की प्राप्तियों व भुगतान का विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि छात्रों से निधि की प्राप्तियों व भुगतान के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार अन्य राशियों की प्राप्तियों तथा भुगतान को भी रोकड़ वही में दर्ज किया गया है, अतः विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अन्य राशियों की रोकड़ वही में दर्ज करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए।

निधि का नाम जिसमें राशि जमा करवाई गई	राशि प्राप्ति व भुगतान की तिथि	राशि जहां से प्राप्त हुई	राशि जो प्राप्त हुई	भुगतान की गई राशि	उद्धेश्य जिस हेतु राशि प्राप्त व भुगतान किया गया	टिप्पणी
विविध निधि	6.2.2013 व 28.3.2013	निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग सुन्दरनगर	30000	25276	पुस्तकें व टुल किट का क्रय	₹4724 निधि में अभी भी जमा हैं
विविध निधि	25.3.2013 व 28.3.2013	सरकारी राशि से राशि का आहरण	238034	238034	आईटीआई भवन का किराया	—
विविध निधि	30.3.2013 व 29.5.2013	यथोपरि	291401	291401	आईटीआई हेतु मषीनों का क्रय	—
विविध निधि	13.3.2015 व 14.3.2015	यथोपरि	352429	316129	आईटीआई भवन का किराया	—
			कुल राशि	**₹911864**		

9 रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करना

संस्थान के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु रसीदों के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में रसीद बुकों के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः अपेक्षित रजिस्टर का रख–रखाव जिसमें रसीद बुकों की प्राप्ति का स्त्रोत एवं मात्रा रसीद बुकों के क्रमांक सहित दर्ज करने के पश्चात रसीद बुकों को जारी करने की मात्रा (क्रमांक व प्राप्तकर्ता के नाम व हस्ताक्षर सहित) दर्ज करने के अतिरिक्त संस्थान के पास शेष रसीद बुकों की मात्रा भी दर्ज की जाए तथा इन्हें सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी करवायाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 जुर्माना निधि की ₹190 की कम वसूली करना

विवरण पुस्तिका के नियम 11.5 के अनुसार प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में आधे दिन की अनुपस्थिति हेतु ₹10 तथा पूरे दिन की अनुपस्थिति हेतु ₹20 जुर्माना शुल्क के रूप में वसूल करने का प्रावधान है, परन्तु निम्नलिखित मामलों में प्रशिक्षाणार्थियों से जुर्माना शुल्क की ₹190 की कम वसूली की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

व्यवसाय का नाम	माह जिसमें कम वसूली की गई	प्रशिक्षणार्थी की संख्या	अपेक्षित वसूली	की गई वसूली	कम वसूली
कटिंग व	12/13	20	510	420	90

सिलाई					
–यथोपरि–	2/14	20	880	780	100
				योग	**₹190**

11 सरकारी कोष में ₹56800 विलम्ब से जमा करना

अंकेक्षण के दौरान दैनिक संग्रह रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त टयूशन फीस व प्रवेश शुल्क की ₹5680 को सरकारी कोष में विलम्ब से जमा किया गया है। इस राशि को प्राप्ति के पश्चात पहले छात्र कल्याण निधि में जमा किया गया था, तत्पश्चात विलम्ब से सरकारी कोष में जमा किया गया है, जबकि नियमानुसार सरकारी निधि को प्राप्ति के पश्चात अगले कार्य दिवस में सरकारी कोष में जमा किया जना अपेक्षित होता है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सरकारी कोष में यथासमय जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम	**निधि वसूली की तिथि**	**निधि को सरकारी कोष में जमा करने की तिथि**	**निधि की राशि जो प्राप्त व जमा की गई**
टयूशन फीस	31.8.2010	20.1.2011	14400
प्रवेश शुल्क	15.7.2010	20.1.2011	600
प्रवेश शुल्क	19.7.2010	20.1.2011	600
प्रवेश शुल्क	31.8.2010	20.1.2011	4000
टयूशन फीस	9.2.2015 से 11.2.2015	5.3.2015	37200
		कुल राशि	**₹56800**

12 प्रशिक्षणार्थियों से ₹70980 की कम वसूली करना

प्रशिक्षणार्थियों से एकत्रित विभिन्न निधियों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि दैनिक संग्रह रजिस्टर व रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में छात्रों से ₹70980 की कम वसूली की गई है। प्रधानाचार्य महोदय से उक्त वसूली बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34/2015 दिनांक 24.9.2015 द्वारा मामला उठाया गया था, जिसके सन्दर्भ में प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पत्र संख्या 903 दिनांक 12.10.2015 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त मामले की विभागीय स्तर पर पड़ताल की जा रही है। अतः इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा यदि इस राशि की वसूली नहीं की गई तो इसकी वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

निधि का नाम	शैक्षणिक वर्ष	ट्रेड का नाम	छात्रों की सं0	वसूली की दर प्रति छात्र	वसूल योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	टिप्पणी
प्रवेश शुल्क	2010—11	संस्था द्वारा संचालित सभी ट्रेड	25	200	5000	शून्य	5000	—
शैक्षणिक शुल्क	2010—11	यथोपरि	25	2400	6000 0	शून्य	60000	—
एलआईसी	2010—12	यथोपरि	48	100	4800	1300	3500	—
विभिन्न निधियां	2010—11	इलेक्ट्रिशन	1	2680	2680	300	2380	वलविन्द्र सिंह से कम सूली की गई
विभिन्न निधियां	2010—11	इलेक्ट्रिशन	1	2680	2680	2580	100	सोमेश से राशि की कम वसूली की गई
					कुल वसूल योग्य राशि		**₹70980**	

13 मूल बिलों को सत्यापित किए बिना ही ₹6306 का भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹6306 के व्यय वाउचरों का भुगतान मूल बिलों को सत्यापित किए बिना ही किया गया है। नियमानुसार बिलों को सत्यापित किए जाने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। अतः मूल बिलों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित करवाए बिना ही इन भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में मूल बिल को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करने के पश्चात ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

जिसे भुगतान किया गया	उद्धेश्य जिस हेतु भुगतान किया गया	दिनांक जिस दिन भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि
सहायक अभियन्ता बिजली विभाग कुमारसैन	माह 3/15 के बिजली बिल का भुगतान	21.3.2015	5576
सहायक अभियन्ता दूरभाष विभाग कुमारसैन	माह 1/15 से 2/15 के दूरभाष बिल का भुगतान	21.3.2015	730
		कुल राशि	**₹6306**

14 यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹3408 का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान यात्रा भत्ता दावों की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 17.7.2014 को ₹3408 का भुगतान श्रीमति नीलीमा कुमारी को अवधि 15.6.2014 से 26.6.2014 के दौरान कांगड़ा में

राष्ट्रीय फैशन डिजाईनिंग केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु की गई यात्रा के एवज में किया गया। श्रीमति नीलमा कुमारी की नियुक्ति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुमारसैन में दिनांक 12.12.2013 को कटिंग व टेलरिंग अध्यापिका के रूप में ₹10300 के मासिक मानदेय में की गई। हि0प्र0 वित्त विभाग द्वारा यात्रा भत्ता दावों से सम्बन्धित समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों को यात्रा भत्ते दावे के भुगतान का प्रावधान नहीं है और न ही छात्र कल्याण निधि के नियमों में मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों के यात्रा भत्ते दावे के भुगतान का प्रावधान है। अतः यात्रा भत्ते दावे के ₹3408 भुगतान का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राशि की पूतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 छात्र कल्याण निधि से ₹38989 का अनाधिकृत भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार कार्यालय के दूरभाष व बिजली बिलों हेतु ₹38989 भुगतान किया गया। उक्त राशि में से ₹32683 की सरकारी कोष से प्रतिपूर्ति कर ली गई है, जबकि ₹6306 की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है। छात्र कल्याण निधि के नियमों में कार्यालय के बिजली व दूरभाष बिल के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ₹38989 के बिजली व दूरभाष के भुगतान को नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अनाधिकृत व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त ₹6306 जिसकी प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से की जानी है उसकी प्रतिपूर्ति भी शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टॉक का प्रत्यक्षा सत्यापन नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया। लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(i)—245/2006, खण्ड—1—1963—1964, दिनांक02.04.2016, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान कुमारसैन जिला शिमला हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकि शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.